

'मुंह में राम बगल में छुरी' को चरितार्थ कर रही है भाजपा और मोदी सरकार-मायावती

लखनऊ-भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर "मुंह में राम, बगल में छुरी" की कहावत को चरितार्थ करने का आरोप लगाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज दावा किया कि 'वह बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके समाज के लोगों को प्रत्येक स्तर पर पीछे ढकेलने, उनका उत्पीड़न करने का पूरा प्रयास करते हैं।' मायावती ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वोट के लिए कल मन की बात कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, "पिछले साढ़े चार साल के शासनकाल में उनकी पार्टी और सरकार दलितों और पिछड़ों के मामले में बहुत ढोंग कर चुकी है। अब ढोंग करने से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला।"


उन्होंने मोदी सरकार पर दलितों और



पिछड़ों के कल्याण का दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा, "इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बाबा साहेब के हमनाम उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर की हार है। जिन्हें भाजपा ने एक धनासेठ को पूरे धनबल व सरकारी भय व आतंक का इस्तेमाल करके हराया।" केन्द्र और भाजपा शासित राज्यों की गलत नीतियों,

नोटबंदी, जीएसटी और इनके कारण आयी बेरोजगारी को बसपा-सपा गठबंधन का कारण बताते हुए मायावती ने कहा कि हम निजी स्वार्थ नहीं, बल्कि जनहित में करीब आये हैं। उन्होंने दावा किया कि सपा-बसपा की इन नजदीकियों का पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। मायावती ने आज यहां कहा, "राज्यसभा चुनाव परिणाम के बावजूद सपा-बसपा के बीच जारी तालमेल से भाजपा के लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हमारी यह नजदीकी, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। यह जनहित में है।" उन्होंने आरोप लगाया कि दलित आरक्षण की तरह लंबे संघर्ष के बाद आये मंडल आयोग को इन्होंने निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में उपेक्षित समाज के लोगों को वापस अंधकार में धकेलने का इनका यह जातिवादी प्रयास लगातार जारी है।

लिंगायत संतों से संपर्क करने में अब भी लगे हैं अमित शाह



मैसूर-लिंगायत समुदाय तक पहुंचने की भाजपा की कोशिशें जारी रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज यहां के सुत्तूर मठ में समुदाय के एक प्रमुख संत से मिले और कर्नाटक यात्रा का चौथा चरण शुरू किया। शाह ने संत से मिलने के बाद दिव्यतर पर लिखा, "श्री सुत्तूर मठ के श्री शिवरात्रि देशीकेन्द्र महास्वामीजी से मैसूरू में आशीर्वाद लिया।"

शाह ने कहा कि संत ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के मूल्यों का प्रसार करने के लिए महत्वपूर्ण कोशिशें की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह ग्रामीण कर्नाटक में गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने में

मठ की भूमिका की भी सराहना करते हैं। शाह पहले ही राज्य के तटीय, मलनाड, उत्तरी एवं मध्य क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने अपने तीसरे चरण की यात्रा के तहत 26 मार्च को तुमकूरू में सिद्धगंगा मठ के 111 वीं वीरशैव श्री शिवकुमार स्वामी से आशीर्वाद लिया था जो कि लिंगायत समुदाय के एक पृथ्वी संत हैं। लिंगायत संतों के साथ भाजपा अध्यक्ष की मुलाकात को लिंगायतों/ वीरशैवों तक पहुंचने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है जो संख्या एवं राजनीति की दृष्टि से राज्य में ताकतवर हैं और भाजपा के लिए एक बड़ा मतदाता आधार हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने वापस लिया सेना में ट्रांसजेंडरों की मर्ती पर लगा बैन

वाशिंगटन-अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना में ट्रांसजेंडरों की मर्ती पर लगाए गए अपने व्यापक प्रतिबंध को वापस ले लिया। ट्रंप ने अब रक्षा और होमलैंड सुरक्षा विभाग के मंत्रियों को इस मुद्दे पर विचार करने का मौका दिया है। ट्रंप ने नए ज्ञापन पत्र में कहा कि, "मैं ट्रांसजेंडर द्वारा सेना में सेवा करने तथा इस संबंध में अन्य किसी निर्देश को लेकर दिये गये 25 अगस्त 2017 के अपने ज्ञापन को वापस लेता हूँ।"

इसमें कहा गया है कि, 'अमेरिकी तटरक्षक बल के संबंध में रक्षा और होमलैंड सुरक्षा मंत्री ट्रांसजेंडर द्वारा सेना में सेवा देने से संबंधित उचित नीतियों को लागू करने में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।'

असामाजिक तत्वों का कोई मानवाधिकार नहीं है-शिवराज सिंह चौहान

भोपाल-महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर काबू पाने के लिये मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों की सार्वजनिक परेड निकालने को उचित उद्देश्य के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं होता। चौहान ने मीडिया से कहा, "गुण्डों का कोई मानवाधिकार नहीं होता है। प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिस इन रक्षकों से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्ती से निपटेगी।" उन्होंने कहा कि लड़कियों को बुरे, फर्बियां कसने वाले और उन्हें घर से बाहर निकालने में मुश्किलें पैदा करने वाले तत्व अपने मानवाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि बलात्कार के 92 प्रतिशत मामलों में आरोपी पीड़ितों के आसपास के लोग, परिवार या निकट के रिश्तेदार ही होते हैं।



उनकी उपज की लाभकारी कीमतें दिलाने के लिये प्रयास कर रही है। इस हेतु कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक एजेंसी बनाने की योजना है।"

एक अन्य सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के

मध्यप्रदेश के दो शहरों भोपाल और इन्दौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पर हम विचार कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिये सभी प्रयास किये जायेंगे।" मीडिया के लोगों पर हो रहे हमलों पर पत्रकारों द्वारा चिंता जताने पर उन्होंने

आश्वासन किया कि यदि आवश्यकता हुई तो इस मामले में प्रदेश में कानून भी लागू किया जायेगा। इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। चौहान ने भिण्ड के टीवी पत्रकार संदीप शर्मा के परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। शर्मा की भिण्ड में 26 मार्च को संदेहास्पद स्थितियों में एक सड़क हादसे में मौत हो गयी थी।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री रामपाल सिंह की कथित पुत्रवधु की खुदकुशी के मामले में पुलिस कार्रवाई में देरी होने के आरोप पर चौहान ने कहा, "कानून अपना काम कर रहा है।" मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक एजेंसी का गठन करेगी। उन्होंने कहा, "प्रदेश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सरकार किसानों को

खिलाफ कोई विरोधी लहर नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं प्रदेश में जहां जाता हूँ, वहां मुझे जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। वे मुझे प्यार करते हैं और प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना करते हैं।" उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की पराजय को हमारे खिलाफ विरोधी लहर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिये क्योंकि भाजपा ने विरोधी पार्टी की जीत का अंतर पहले की तुलना में काफी कम कर दिया। "लेकिन फिर भी हम चुनाव परिणामों का गंभीरता से विश्लेषण कर रहे हैं।" मीडिया के कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री आज यहां मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित महिला सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने वाले एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए।

दुनिया के शीतयुद्ध के दौर की ओर बढ़ने से वाकई चिंतित हूँ-संरा प्रमुख

संयुक्त राष्ट्र-संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा है कि वह अमेरिका और रूस के बीच तनाव के मद्देनजर दुनिया के शीतयुद्ध की याद दिलाने वाले दौर की ओर बढ़ने को लेकर वाकई बेहद चिंतित हैं। उनका बयान ट्रंप प्रशासन के इस सप्ताह अमेरिका से 60 रूसी नागरिकों को निष्कासित करने के बाद आया है। अमेरिका ने गत चार मार्च को रूसी डबल एजेंट सर्गेई स्क्रिपाल को कथित तौर पर जहर देने को लेकर रूस के खिलाफ कार्रवाई की। निष्कासित किये गए 60 लोगों में से 12 संयुक्त राष्ट्र में रूसी मिशन के खुफिया अधिकारी शामिल थे। उनपर अमेरिका में आवास के विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजनयिकों को अमेरिका द्वारा निष्कासित किये जाने की घोषणा और नये दौर का शीतयुद्ध शुरू होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा, "मैं वाकई बेहद चिंतित हूँ। मेरा मानना है कि हम बहुत हद तक उसी तरह की स्थिति की ओर आ रहे हैं, जैसा शीत युद्ध के दौर में हमने जिया। हालांकि, दो बेहद महत्वपूर्ण अंतर हैं।"

बहुविवाह, निकाह हलाला मामले में कोर्ट ने केन्द्र, विधि आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली-उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिये सहमत होते हुये इस संबंध में दायर याचिकाओं पर आज केन्द्र और विधि आयोग से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. ए. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस दलील को स्वीकार किया कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले में तीन-तलाक को खत्म करते हुए बहुविवाह और निकाह हलाला के मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा था। पीठ ने आज कहा कि पांच सदस्यों वाली नयी संविधान पीठ का गठन किया जाएगा जो बहुविवाह और निकाह हलाला के मामले पर गौर करेगी। बहुविवाह जहां मुस्लिम पुरुषों को एक समय में एक से ज्यादा महिलाओं से विवाह करने की अनुमति देता है। वहीं निकाह हलाला ऐसी प्रथा है जिसमें पतिद्वारा तलाक दिये जाने पर यदि दोनों फिर से निकाह करना चाहते हैं तो तलाक देने वाले पति से दुबारा शादी करने से पहले मुस्लिम पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करके उससे तलाक लेना होता है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से अपने फैसले में तीन- तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष अदालत इन प्रथाओं को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें समता के अधिकार का हनन और लैंगिक न्याय सहित अनेक मुद्दे उठये गये हैं।